HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2382/2026

Shivam Vijay Alias Raunak S/o Shri Gopal Krishan Vijay, Aged About 29 Years, R/o House Number 225B, Surya Nagar, Bharat Marg, Police Station Mahesh Nagar, Jaipur (At Present Confined At Central Jail Jaipur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Sudarshan Laddha Mr. Naman Jain
For Respondent(s)	:	Ms. Aarti Sharma, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

27/02/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत अपनी नियमित जमानत हेतु यह प्रार्थना–पत्र पुलिस थाना **जवाहर सर्किल जिला जयपुर सिटी पूर्व** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **42/2026** अपराध अन्तर्गत धारा **8/22 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985** में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि उसे प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध बिना वैध अनुज्ञापत्र के 3 ग्राम MDMA अपने आधिपत्य में रखने के अपराध का अभियोग है, जो प्रार्थी के आधिपत्य से बरामद होना बताया गया है, जो व्यावसायिक मात्रा से काफी कम है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 24.01.2026 से अभिरक्षा में है। उसके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है। आरोप–पत्र पेश किया जा चुका है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए प्रकट किया कि प्रकरण मादक पदार्थ की बरामदगी से सम्बन्धित होकर गम्भीर प्रकृति का है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी–अभियुक्त के आधिपत्य से 3 ग्राम MDMA की बरामदगी हुई है, जो वाणिज्यिक मात्रा से कम है। प्रार्थी दिनांक 24.01.2026 से अभिरक्षा में है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। आरोप–पत्र पेश किया जा चुका है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र **सशर्त** स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **शिवम विजय उर्फ रौनक पुत्र गोपाल कृष्ण विजय** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना–पत्र इस शर्त के साथ कि प्रार्थी–अभियुक्त भविष्य में इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी–अभियुक्त योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु **एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां** प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे इस मामले में जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

प्रार्थी/अभियुक्त को यह भी निर्देश दिए जाते हैं कि वह प्रकरण के विचारण तक सम्बन्धित पुलिस थाने में प्रत्येक माह की 10 तारीख को अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। सम्बन्धित थानाधिकारी उसकी उपस्थिति का विवरण प्रत्येक माह विचारण न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। अभियुक्त द्वारा उक्त शर्त की पालना नहीं करने पर विद्वान लोक अभियोजक अभियुक्त के जमानत निरस्तीकरण के सम्बन्ध में प्रार्थना–पत्र पेश करने को स्वतंत्र रहेंगे।

(SHUBHA MEHTA),J

AJAY KUMAR SINGHAL /177